यह निरीक्षण प्रतिवेदन **ज़िला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **ज़िला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, रुद्रप्रयाग** के माह 12/2014 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री खुशी राम वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23-10-2017 से 02-11-2017 तक श्री दनिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुश्री मानसी जैन सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा श्री बृज भूषण त्रिपाठी लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22/12/2014 से 30/12/2014 तक श्री बी.एस. चन्देल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था। जिसमें माह 09/2008 से 11/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2014 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **ज़िला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, रुद्रप्रयाग** का मुख्य कार्यकलाप जनपद में संचालित बाल विकास परियोजनाओं के संचालन में मुख्यालय द्वारा दिये गए निर्देशों/ आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं उचित मार्गदर्शन ।

(ब) **ज़िला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, रुद्रप्रयाग** एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड में स्थित है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+) `**	**बचत (-) `(समर्पण)**
	स्थापना `	**गैर स्थापना**	**आवंटन `**	**व्यय `**	**आवंटन `**	**व्यय `**		
2014-15	----	----	365.45	356.42	1384.27	1378.33		14.97
2015-16	----	----	32.42	28.78	169.96	157.13		16.47
2016-17	----	----	24.45	13.42	125.42	119.75		16.70
2017-18 (Up to Oct. 2017	----	----	6.76	4.26	3.86	2.43		3.93

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

योजना का नाम	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
नन्दा देवी योजना	00	446.00	445.80		0.20
किशोरी शक्ति	00	3.85	3.85		00
निर्भया योजना	00	12.05	1.61		10.44
आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण	00	147.50	147.50		00
कुक्ड फूड	00	554.00	553.61		0.39

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत निदेशक आई° सी° डी° एस° देहरादून, एवं भारत सरकार से प्राप्त होते है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. निदेशक 3. डी.पी.ओ. 4. सी.डी.पी.ओ
5. सुपरवाइज़र 6. आंगनवाड़ी कार्यकत्री 7. आंगनवाड़ी सहायिका

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **ज़िला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, रुद्रप्रयाग** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग – दो(ब)

प्रस्तर 01 : असम्यक योजना के असफल क्रियान्वयन तथा धनावंटन के आभाव मे लाभार्थियों को टेक होम राशन का वितरण न किया जाना रूपये 311.27 लाख।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2084/XVII (4)/2014/129/06TC दिनांक 05.11.2014 द्वारा उत्तराखण्ड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति को प्रोत्साहित करने एवं आई० सी० डी० एस० सेवाओं मे पूर्ण जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु वृद्ध महिलाओं (जिनहे वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा हो) का सहयोग लिए जाने एवं वृद्ध महिलाओं के सम्बंध मे सकारात्मक पारस्परिक पद्दतियों के द्वारा स्वास्थ एवं पोषण स्तर को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर सम्यक विचारोप्रांत मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना (शत-प्रतिशत राज्य योजना) संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया था।

इस योजना के अन्तर्गत प्रतेयक आगनबाड़ी केंद्र पर वृद्ध महिलाओं का समूह बनाया जाना था यह समूह आगनबाड़ी केन्द्रों मे दी जाने वाली सेवाओं मे सहयोग प्रदान करेगा। समूह के सदस्यों को आगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिदिन (रविवार एवं अवकाश को छोड़कर) टेक होम राशन का प्राविधान किया गया था जिसके लिए प्रति सदस्य प्रतिमाह रुपए 150.00 का मानक निर्धारित था, (संशोधित मार्च 2016)।

जिला कार्यक्रम अधिकारी रुद्राप्रयाग के लेखाभिलेखों के नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपद मे वित्तीय वर्ष 2014-15 मे कुल लाभार्थियों की संख्या 6795 थी जिसके लिए 150 रूपये प्रतिमाह की दर से उक्त वर्ष के लिए रूपये 122.31 लाख की धनराशि की आवश्यकता थी (संख्या 6795 x 150 x 12= 1,22,31,000.00), परन्तु उक्त वर्ष मे मात्र रूपये 30.53 लाख की धनराशि आवंटित हुई थी। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 मे चयनित लाभार्थियों की संख्या 7242 थी, उक्त वर्षो मे प्रश्नगत योजना के निशपादन हेतु 130.36 लाख की धनराशि की आवश्यकता थी परंतु उक्त वर्षो मे क्रमशः 15.57 लाख तथा 25.00 लाख की धनराशि आवंटित हुयी थी, वर्षवार विवरण निमन्वत था-

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	बजट की मांग	प्राप्त राशि	व्यय राशि	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या /प्रतिशत	अवशेष राशि	बजट मांग और प्राप्त राशि का अन्तर
2014-15	6795	12231000	3053250 (24.96)	3000000	1666.66 (24.52%)	53250	91,77,750 (75.04 %)
2015-16	7242	13003200	1557000 (11.97 %)	1556700	864.83 (11.97)	300	11446200 (88.03%)
2016-17	7242	13003200	2500000 (19.22%)	2500000	1388.88 (19.22)	00	10503200 (80.78%)
योग	21243	38237400	7110250	7056700	3920.37		31127150

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विगत तीन वर्षो मे प्रश्नगत योजना के अंतर्गत आवश्यक बजट रुपए 3,82,37,400.00 के सापेक्ष मात्र रुपए 71,10,250.00 (18.60%) का बजट प्राप्त हुआ था तथा

विगत तीन वर्षो मे 21243 लाभार्थियो के सापेक्ष मात्र 3920 (18.45%) लाभार्थियो को लाभान्वित किया जा सका तथा रुपए 3,11,27,150.00 का टेक होम राशन का वितरण नहीं किया गया था। जांच मे यह भी पाया गया कि प्रशनगत योजना के अन्तर्गत अनुश्रवन एवं मूल्यांकन की निहित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतेयक दो माह पर एक रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित किया जाना था तथा हर वर्ष इस योजना का अनुश्रवण तृतीय पक्ष से कराया जाना था जो नहीं किया गया था।

इस प्रकार सरकार की असम्यक योजना के असफल क्रियान्वयन एवं आवश्यक धनराशि के आवंटन नहीं होने के कारण चयनित लाभार्थियों को रूपये 311.27 लाख (आवश्यक राशि 382.37 लाख – आवंटित राशि 71.10 लाख = 311.27 लाख) के टेक होम राशन का वितरण नहीं किया गया था। विभाग द्वारा भी योजना का असफल क्रियान्वयन किया गया जिसके परिणाम-स्वरूप वर्ष 2014-15 मे आवंटित राशि 3053250.00 का भी यथा समय शतप्रतिशत उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका और रूपये 53250.00 की धराशि उपयोग नहीं किया गया। विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के आभाव तथा योजना के असफल क्रियान्वयन तथा धनावंटन के आभाव मे लाभार्थियों को रूपये 311.27 लाख टेक होम राशन का वितरण नहीं किया गया परिणाम स्वरूप चयनित लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित रहे और योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त रही।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि आंगनवाड़ी सर्वे के अनुसार वर्ष 2014-15 में 6795 एवं 2015-16 में 7242 लाभार्थी थे। योजना के निष्पादन हेतु वर्ष 2014-15 में रुपए 13035600.00 की मांग की गयी। शासन स्तर से अपेक्षित बजट प्राप्त नहीं हो पाने के कारण योजना से संबन्धित लाभार्थी प्रभावित रहे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में विगत तीन वर्षो मे योजना के अंतर्गत आवश्यक बजट रुपए 3,82,37,400.00 के सापेक्ष मात्र रुपए 71,10,250.00 (18.60%) का बजट प्राप्त हुआ था तथा विगत तीन वर्षो मे 21243 लाभार्थियो के सापेक्ष मात्र 3920 (18.45%) लाभार्थियो को लाभान्वित किया जा सका तथा रुपए 3,11,27,150.00 का टेक होम राशन का वितरण नहीं किया गया था। असम्यक योजना के असफल क्रियान्वयन तथा धनावंटन के आभाव मे लाभार्थियों को रूपये 311.27 लाख के टेक होम राशन का वितरण नहीं किया गया, परिणाम स्वरूप चयनित लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित रहे और योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी।

अतः असम्यक योजना के असफल क्रियान्वयन तथा धनावंटन के आभाव मे लाभार्थियों को रूपये 311.27 लाख का टेक होम राशन का वितरण न किए जाने तथा प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग – दो(ब)

प्रस्तर 02: विभागीय उदासीनता के कारण रुपए 27.00 लाख से बनने वाले 06 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना तथा पदनाम खाते में रुपए 14.06 लाख अनुपयोगी रहना।

निदेशालय के पत्र संख्या सी- 4128 / आई सी डी एस / आ° बा° भ° -448-IV/ 13-14 दिनांक 25.02.2014 के सम्बंध में प्रमुख सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 282/XVII(4)/ 2013/2(14) 13 दिनांक 24.02.2014 के अनुसार आपदा ग्रस्त जनपदों में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के अनुरक्षण/ मरम्मत हेतु धनराशि आबंटित करते हुये जनपद स्तर पर समिति के गठन की भी स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके लिए ग्राम पंचायत को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। रुद्रप्रयाग जनपद मे (14 नवीन + 04 पुनर्निर्माण) 18 केन्द्रों के पुनर्निर्माण हेतु धनराशि 4.5 लाख प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए पत्र संख्या सी 4132/ बजट-2570/ 2013-14 दिनांक 26.02.2014 के द्वारा धनराशि रुपए 63.00 लाख एवं पत्र संख्या सी- 4131/ बजट-2570/ 2013-14 दिनांक 26.02.2014 के द्वारा 18.00 लाख कुल धनराशि रुपए 81.00 लाख जारी किए गए। निदेशालय के पत्रांक सी 501/ आई सी डी एस / आपदा भ° -2836/ 14-15 दिनांक 24.05.2014 दवारा निर्देशित किया गया था कि आपदाग्रस्त जनपदों में आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के अनुरक्षण/ मरम्मत हेतु जारी धनराशि के सापेक्ष वित्तीय / भौतिक प्रगति की अदद्यतन स्थिति एवं उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा । स्वीकृत भवनों का निर्माण नियमानुसार 31 दिसम्बर 2014 तक पूर्ण करते हुये कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराया जाना था।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, रुद्रप्रयाग के लेखा अभिलेखों की जांच मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि आपदाग्रस्त (14 नवीन + 04 पुनर्निर्माण) 18 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण/ पुनर्निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि रुपए 81.00 लाख को मुख्य विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग के, पी° एल° ए° खाते में रखा गया। उक्त धनराशि को ग्राम पंचायतों को पी° एल° ए° खाता संख्या 8448 से अवमुक्त किए जाने हेतु दिनांक 27.10.2014 को मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग को पत्र लिखा गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा तीनों ब्लाको में 18 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु (जाखोली, अगस्त्यमुनि तथा ऊखीमठ) 27/12/204 से 30.04.2015 की अवधि में प्रथम किश्त 2.25 लाख की दर से रूपये 40.50 लाख तथा द्वितीय किश्त 09/2015 में 1.80 लाख की दर से 17 केन्द्रों के लिए रूपये 23.40 लाख तथा अंतिम किश्त रूपये 304039/- कुल धनराशि रुपए 66.94 लाख अवमुक्त किया गया था। उक्त 18 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 11 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था, एक केन्द्र की भूमि उपलब्ध न होने के कारण रूपये 4.5 लाख की धनराशि को पदनाम खाते में वापस कर दिया गया तथा शेष 06 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य गतिमान दर्शाया गया था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट था कि निर्धारित भवनों का निर्माण नियमानुसार दिनांक 31 दिसम्बर 2014 तक पूर्ण करते हुये कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराया जाना था। लेकिन जिला कार्यक्रम अधिकारी की उदासीनता के कारण 06 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य 30 माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। अपितु नकोट-1 ग्राम पंचायत में भूमि अनुपलब्धता के कारण वापस प्राप्त हुयी धनराशि रूपये 4.50 लाख को शासन को समर्पित नहीं किया गया तथा रुपए 955961.00 (कुल 1405961.00) जिला कार्यक्रम अधिकारी के पदनाम खाते में सम्प्रेक्षा तिथि तक (सितम्बर 2017) विगत 35 माह से अनुपयोगी थी

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि धनराशि माह फरवरी 2014 में प्राप्त हुई थी आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु भूमि चयन प्राकलन आदि कार्यों में समय लगने पर कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि विलंब से जारी की गयी। 06 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों निर्माण कार्य गतिमान है । जिला कार्यक्रम अधिकारी के पदनाम खाते में अवशेष धनराशि रुपए

1405961.00 है। जिला अधिकारी महोदय द्वारा अन्य आंगनवाड़ी केन्द्र भवन का नाम चाहा गया था जिसके कारण धनराशि वापस नहीं की गयी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जिला कार्यक्रम अधिकारी की उदासीनता के कारण 06 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य 30 माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया अपितु नकोट-1 ग्राम पंचायत में भूमि अनुपलब्धता के कारण वापस प्राप्त हुयी धनराशि रूपये 4.50 लाख को शासन को समर्पित नहीं किया गया तथा रुपए 955961.00 (कुल 1405961.00) जिला कार्यक्रम अधिकारी के पदनाम खाते में सम्प्रेक्षा तिथि तक (सितम्बर 2017) विगत 35 माह से अनुपयोगी थी ।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण रुपए 27.00 लाख से बनने वाले 06 आपदाग्रस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना तथा पदनाम खाते में रुपए 14.06 लाख अनुपयोगी रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग – दो(ब)

प्रस्तर 03 : विभागीय उदासीनता एवं योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक रहने से 702 लाभार्थियों को रूपये 105.30 लाख का भुगतान लाबित रहने एवं 376 लाभार्थियों की धनराशि रुपए 56.40 लाख को अवरुद्ध रखना।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना ‘हमारी कन्या हमारा अभियान योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवासियों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जीवित बालिकाओं ने जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्तें पूरी करते हों चाहे इसके पूर्व उनकी अन्य जीवित सन्तानें भी हों को दिया जाएगा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के रूप में रूपये 15000/- की धनराशि तीन किश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त बालिका के अभिभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकतम एक माह के अन्दर 5000/- की धनराशि A/c Payee चैक के माध्यम से कन्या के अभिभावक को प्रदान की जायेगी। शेष धनराशि रूपये 10,000/- एफ० डी० के माध्यम से बैंक में कन्या तथा उसके माता-पिता के नाम से संयुक्त रूप से करायी जायेगी। द्वितीय किश्त के रूप में कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पुनः कन्या के माता-पिता के खाते मे E-transfer के माध्यम से रूपये 5000/- की धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। शेष धनराशि को पुनः 8 वर्षों की अवधि के लिए एफ० डी० करा दी जायेगी जिसमें से तृतीय एवं अंतिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि लाभार्थी बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने तथा अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु यह शर्त भी थी कि यदि बालिका की अपरिहार्य कारणों से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो यह धनराशि राजकोष में जमा कर दी जाएगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास, रुद्रप्रयाग की नन्दा देवी योजना के नमूना जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि योजना के अन्तर्गत सम्प्रेक्षा अवधि सितम्बर 2017 तक कुल प्राप्त 3298 आवेदनों के सापेक्ष मात्र 2596 लाभार्थियों को ही उक्त योजना के अन्तर्गत रूपये 15000/- की दर से भुगतान किया गया, जबकि लेखा परीक्षा (सितम्बर 2017) तक 702 लाभार्थियों को रूपये 15000/- प्रति लाभार्थी की दर से रूपये 105.30 लाख का भुगतान किया जाना लम्बित था। शासन द्वारा 2972 लाभार्थियों की धनराशि उपलब्ध कराई गयी लेकिन विभाग द्वारा केवल 2596 लाभार्थियों को ही भुगतान किया गया शेष 376 लाभार्थियों की धनराशि शासन से प्राप्त होने के पश्चात भी लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया गया। जबकि विभाग के पास 376 लाभार्थियों की धनराशि रुपए 56.40 लाख अगस्त्य मुनि परियोजना के बैंक खाते में वर्ष 2016-17 से अवरुद्ध थी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा इस योजना को सम्यक रूप से लागू न किए जाने के कारण 702 लाभार्थी इस योजना के लाभ से वंचित रहे तथा परियोजनाओं के बैंक खाते में 376 लाभार्थियों की धनराशि रुपए 56.40 लाख भुगतान किए बिना अवरुद्ध थी, जो कि असम्यक योजना के असफल क्रियान्वयन धोतक था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ने अवगत कराया कि योजना के तहत बैंक प्रक्रिया में खाते खुलवाने एवं अन्य दस्तावेज़ प्राप्त न होने पर परियोजना द्वारा धनराशि निर्गत नहीं करायी जा सकी। लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जाता है ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि योजना के लाभ हेतु आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना स्तर पर प्राप्त किये जाते है। आवेदन पत्र जांच के समय ही लाभार्थी की खाता संख्या प्राप्त कर ली जानी चाहिए थी परंतु विभागीय उदासीनता एवं लापरवाही की वजह से आवेदन पत्रों की जांच ठीक से नहीं की गयी जिससे 702 लाभार्थियों को योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ा। शासन द्वारा 2972 लाभार्थियों की धनराशि उपलब्ध कराई गयी लेकिन विभाग द्वारा केवल 2596 लाभार्थियों को ही

भुगतान किया गया शेष 376 लाभार्थियों की धनराशि शासन से प्राप्त होने के पश्चात भी लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया गया। जिससे अगस्त्यमुनि परियोजना के बैंक खाते में 376 लाभार्थियों की धनराशि रुपए 56.40 लाख भुगतान किए बिना अवरुद्ध थी, जो कि असम्यक योजना के असफल क्रियान्वयन का धोतक था।

अतः विभागीय उदासीनता एवं योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक रहने से 702 लाभार्थियों को रूपये 105.30 लाख का भुगतान लाबित रहने एवं धनराशि रुपए 56.40 लाख भुगतान किए बिना अवरुद्ध रखने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग – दो(ब)

प्रस्तर 04 : 2.86 लाख के अर्जित ब्याज एवं की धनराशि को शासन को प्रेषित न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं° 99/ xxvii (14) 2009 दिनांक 03.12.2009 के द्वारा ब्याज की धनराशि को तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए। यदि किसी मद में ब्याज की धनराशि को व्यय किया जाना हो तो वित्त विभाग से पृथक शासनादेश उपलब्ध होना चाहिए तथा उस धनराशि को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराशि की मांग शासन से की जाएगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास रुद्रप्रयाग के योजनाओं के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग को आबंटित धनराशि पर बेंक के द्वारा ब्याज दिया जाता है, वर्ष 2016-17 से 2017-18 (सितम्बर 2017 तक) की अवधि में प्राप्त ब्याज की राशि को 0049 में जमा न करने या धनराशि को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराशि की मांग शासन से नहीं किए जाने से ब्याज की धनराशि रुपए 2,85,718.00 लम्बित हैं, जिसे तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए, ब्याज की राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र° सं°	योजना का नाम	ब्याज की धनराशि
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, रुद्रप्रयाग	2,78,138.00
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी जाखोली, रुद्रप्रयाग	3333.00
3	बाल विकास परियोजना अधिकारी अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	4247.00
कुल योग		**2,85,718.00**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बैंक में ब्याज की धनराशि प्रति वर्ष बढ़ रही थी तथा विभाग द्वारा ब्याज की धनराशि रूपये 2.86 लाख को शासन को वापस नहीं किया जा रहा था, जो शासनादेश के प्रति उदासीनता को प्रकट करती है।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ने अवगत कराया कि 2.86 लाख की धनराशि को राजकोष में जमा कराये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी, उक्त धनराशि को राजकोष में अविलम्ब जमा करा दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा दो से तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात भी शासन को धनराशि वापस नहीं की गयी। जिससे न केवल उक्त धनराशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध थी, जिसका विकास कार्यों पर उसका उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अतः विभाग द्वारा रू° 2.86 लाख के अर्जित ब्याज की धनराशि को शासन को प्रेषित न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग – दो(ब)

प्रस्तर 05 : विभाग द्वारा रुपए 1.65 लाख के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने में उदासीनता तथा धनराशि रुपए 2.20 लाख से किशोरी शक्ति योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही न किया जाना।

भारत सरकार की दिशा निर्देशानुसार राज्य में किशोरी शक्ति योजना 09 जनपदों के कुल 70 परियोजनाओं में संचालित है इस योजना के अन्तर्गत i) 11-18 वर्ष की किशोरियों के स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर में सुधार लाना। ii) अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किशोरी बालिकाओं को अपेक्षित साक्षरता एवं अंकीय ज्ञान प्रदान करना। iii) किशोरी बालिकाओं में गृह- आधारित एवं व्यावसायिक कौशलों का सुधार करना। iv) समाज के उत्पादक और उपयोगी सदस्य के रूप में विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के लिए किशोरियों को प्रोत्साहित करना। निदेशालय के पत्र संख्या सी 2567/2982(QPR-ksy) 2014-15 दिनांक 14.12.2014 में इस सम्बंध निर्देश दिया गया है कि किशोरी शक्ति योजना कि कार्य योजना बनाते हुये योजना का क्रियान्वयन किया जाए तथा योजना के क्रियान्वयन की मासिक/ त्रैमासिक रिपोर्ट तथा प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध करायेगा।

उक्त योजना के लिए निदेशालय के पत्र संख्या सी-971/ बजट-2961/ 2014-15 दिनांक 08 जुलाई 2014 के द्वारा शासनादेश संख्या 987/ XVII (4)/2014/5(7)/13 दिनांक 13.05.2014 के द्वारा 0107 किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत रुपए 3850000/- वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी रुद्रप्रयाग को वर्ष 2014-15 हेतु धनराशि रुपए 165000/- का आबंटन किया गया। निदेशालय के पत्र क्रमांक सी 2846/ बजट- 4073/2016-17 दिनांक 27.02.2017 को वित्तीय स्वीकृति रुपए 7700000/- के सापेक्ष रूपये 1980000/- का आबंटन किया गया जिसमें दो परियोजनों के लिए प्रति परियोजना रूपये 110000/- कुल 220000/- कि धनराशि जारी की गयी। जिससे परियोजना स्तर पर 25-25 किशोरियों के समूह में से एक-एक सहेली का चयन किया जाएगा। किशोरियों के व्यावसायिक कौशल विकास निर्माण के लिए बैंक/स्तर स्थानीय पर उपलब्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/ कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र आदि से संबन्धित जानकारियां प्रदान की जानी थीं।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास, रुद्रप्रयाग की किशोरी शक्ति योजना के नमूना जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दो संस्थान मन्दाकिनी महिला विकास संस्थान जवाहर नगर, अगस्त्यमुनि जनपद रुद्रप्रयाग को रुपए 55000/- अप्रैल 2015 में एवं हिमालयन ग्रामीण विकास संस्था ग्राम किमाणा पो॰ ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग एवं 110000/- को अप्रैल - जुलाई 2015 में भुगतान किया गया। लेकिन इन संस्थानों के द्वारा दो वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए है।

आगे यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्त धनराशि रूपये 220000/- को दोनों परियोजनाओं अगस्त्यमुनि एवं जाखोली मार्च 2017 में रूपये 110000/- प्रति परियोजना कि दर से जारी कर दी गयी लेकिन दोनों परियोनाओं के द्वारा सम्प्रेक्षा तिथि तक न तो उपभोग प्रमाणपत्र किए गए और न ही योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही की गयी ।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा 02 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी धनराशि रुपए 1.65 के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने में उदासीनता बरती गयी तथा धनराशि रुपए 2.20 लाख के न तो उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये और न ही योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही की गयी ।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ने अवगत कराया कि संबन्धित संस्थाओं के द्वारा 1.65 लाख के उपभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराये गए है संबन्धित संस्थाओं को अविलम्ब पत्र लिख कर कार्यवाही की जायेगी तथा धनराशि रुपए 2.20 लाख का व्यय किए जाने के पश्चात संप्रेक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा 02 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी विभागीय उदासीनता के कारण संबन्धित संस्थाओं के द्वारा 1.65 लाख के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गए तथा 2.20 लाख के न तो उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किये गए और न ही योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही की गयी।

अतः विभाग द्वारा रुपए 1.65 लाख के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने में उदासीनता तथा धनराशि रुपए 2.20 लाख से किशोरी शक्ति योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01 : मानव संसाधन प्रबंधन तथा योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन न किया जाना।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के माध्यम से आगनवाड़ी केन्द्रो द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है, योजनाओं से संबन्धित धनराशि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर आगनवाडी कार्यकरती के बैंक खाते मे हस्तांतरित किया जाता है। संचालित योजनाओ के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का उत्तरदायित्व जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजर का होता है।

निदेशालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 196-97 दिनांक 21.5.2002 द्वारा आगानवाड़ी केन्द्रो के निरीक्षण के सम्बंध मे दिशानिर्देश जारी किया गया था, उक्त के अनुसार विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं के अनुश्रवन हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी को माह 5 से 10 दिन बाल विकास परियोजना अधिकारी को 10 से 15 दिन तथा मुख्य सेविका को 15 से 20 दिन प्रति माह भ्रमण किया जाना अनिवार्य होगा।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं एवं उसके निष्पादन हेतु जनपद मे जिला कार्यक्रम अधिकारी का 01 पद, बाल विकास परियोजना अधिकारी के 03 पद तथा सुपरवाइजर के 20 पद स्वीकृत हैं। जांच मे पाया गया की जनपद रुद्रप्रयाग मे बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर तैनात किया गया जिनके पास दो बाल विकास परियोजनाओं का भी चार्ज था। 03 बाल विकास परियोजना अधिकारी के सापेक्ष मात्र एक पद पर तैनाती थी तथा 20 सुपरवाइसर के पद के सापेक्ष 11 *पद* पर तैनाती थी शेष 09 पद रिक्त थे। 25 आगनवाडी केन्द्रो पर एक सुपरवाइजर की तैनाती का प्राविधान है, 684 केन्द्रो के सापेक्ष मात्र 11 सुपरवाइजर की तैनाती स्वतः प्रदर्शित करती है की एक सुपरवाइसर को औसतन 62 केन्द्रो के पर्यवेक्षण का दायितत्व था। एक सुपरवाइसर द्वारा एक माह मे, पहाड़ी क्षेत्र मे 62 आगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया जाना किसी भी दशा मे संभव नहीं था, इससे स्पष्ट है कि आगनवाड़ी केन्द्रों का हर माह निरीक्षण नहीं किया जा रहा था। इकाई द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी की निरीक्षण पंजिका का संधारण नहीं किया जा रहा था अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विगत 18 माह मे मात्र एक दिन निरीक्षण किया गया था, जिसकी निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया था ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की जनपद रुद्रप्रयाग मे, बाल विकास विभाग के अन्तर्गत स्टाफ की भारी कमी थी, आवश्यकतानुसार क्रमचरियों एवं अधिकारियों की तैनाती हेतु भी इकाई द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया था। विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अनुश्रवन एवं मूल्यांकन निर्धारित मानको एवं प्राविधानों के अंतर्गत नहीं किया जा रहा था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने अवगत कराया कि कार्य की अधिकता एवं स्टाफ की कमी के कारण विगत 18 माह में जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा 01 केन्द्र का भ्रमण किया गया जनपद में बाल विकास परियोजना अधिकारी के 02 पद एवं सुपरवाइज़र के 09 पद रिक्त होने पर कार्यरत सुपरवाइजरों को अतिरिक्त क्षेत्रों का प्रभार देकर कार्य किया जा रहा था। एक सुपरवाइज़र के पास केन्द्रों की संख्या अधिक होने के कारण पर्यवेक्षण कार्य में विपरीत प्रभाव पढ़ रहा था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि जिला कार्यक्रम अधिकारी के अन्तर्गत कार्यालय मे स्टाफ की भारी कमी थी, आवश्यकतानुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों की तैनाती हेतु भी इकाई द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया था। विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अनुश्रवन एवं मूल्यांकन निर्धारित मानको एवं प्राविधानों के अंतर्गत नहीं किए जा रहे थे।

अतः मानव संसाधन प्रबंधन तथा योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
96/2008-09	शून्य	01	शून्य
136/2014-15	शून्य	03	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
96/2008-09	1	भाग-II ब	यथावत	अप्रस्तुत
136/2014-15	1,2,3	भाग-II ब	यथावत	अप्रस्तुत

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) निरीक्षण आख्या अप्रस्तुत ।

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	श्री उदय प्रताप सिंह	जिला कार्यक्रम अधिकारी	18-09-14 से 07-10-15
2	श्री विजय देव राड़ी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	19-11-15 से 15-03-16
3	श्री धर्मवीर सिंह	जिला कार्यक्रम अधिकारी	16-03-16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र